साथ मिश्रण किए जाने के उद्देश्य से उक्त निम्न राख वाले कोकिंग कोयले का आयात करते हैं और ये इस्पात संयंत्र में प्रयोग में लाए जाने हेतु समग्र मिश्रण की गुणवत्ता में सुधार किए जाने हेतु भी इसका आयात करते हैं।

Steel Plants Functioning under SAIL

2757. SHRI RAJ NATH SINGH:
SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) the number of steel plants directly functioning under Steel Authority of India Limited;

(b) the details of plants with their production capacity/actual production during the last three years;

(c) the details of plants making profit for the past three years, year-wise and plant-wise; and

(d) the steps taken to check losses of loss making plants?

THE MINISTER OF STEEL & MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) the following six steel plants are directly functioning under Steel Authority of India Limited:

1. Bhilai Steel Plant (BSP)
2. Durgapur Steel Plant (DSP)
3. Rourkela Steel Plant (RSP)
4. Bokaro Steel Plant (BSL)
5. Alley Steel Plant (ASP)
6. Salem Steel Plant (SSP)

(b) The details of Plants with their production capacity/actual production in terms of saleable steel during the last three years is given below:

Unit: '000 T
(figures rounded off)

	1993-94		1994-95		1995-96	
	Cap.	Act.	Cap.	Act.	Cap.	Act.
BSP	3153	3335	3153	3409	3153	3495
DSP	938	642	1000	852	1250	947
RSP	1170	1130	1170	1201	1212	1148
BSL	3156	3205	3156	3168	3156	3330
ASP	183	160	183	154	183	187
SSP	70	46	70	56	70	42

(c) The following Steel Plants of SAIL have been making profits for the last three years;

Profit Rs. in Crores
(figures rounded off)

	1993-94	1994-95	1995-96
BSP	368	639	819
BSL	468	662	806
SSP	4	21	4

(d) SAIL on continuous basis is taking following steps to check the losses of the loss making plants:

1. Increasing capacity utilisation.

2 Improving Productivity.

3 Introduction Energy Conservation measures.

4 Improving availability of equipment through effective maintenance.

5 Improving product-mix, making value added items and meeting customer's requirements.

(Reduction in consumption viz. coke, energy, stores & spares, etc.

7 Investment for modernisation /technological upgradation.

बैलाडिला स्थित लौह अयस्क खान

2758. **श्री राघवजी:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैलाडिला की लौह खदान नं० ग्यारह-बी से लोहे का खनन किये जाने के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सिफारिशें की गयी हैं;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) से (घ) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन०एम०डी०सी०) को मैसर्स निप्पन डेनरो इस्पात लि० (एन०डी०आई०एल०) के सहयोग से बैलाडिला निक्षेप II-बी का विकास करने के लिए 12/13 जून, 1995 को सरकार की मंजूरी दी गई थी। इस कार्य के लिए एन०एम०डी०सी० और एन०डी०आई०एल० ने 10 जुलाई, 1995 को एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी नामतः बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लि० 31.7.95 को निगमित की गई थी। एन०एम०डी०सी० ने निक्षेप II-बी के खनन पट्टे को संयुक्त उद्यम कंपनी के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु भी मध्य प्रदेश सरकार को आवेदन किया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने बैलाडिला निक्षेप-II-बी के खनन पट्टे को संयुक्त उद्यम कंपनी के पक्ष में हस्तान्तरित करने के लिए अपने दिनांक 6.1.96 के पत्र के माध्यम से खान मंत्रालय, भारत सरकार की मंजूरी मांगी थी जैसा कि एम०एम०आर०डी० अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित है। केन्द्र सरकार की मंजूरी मांगते समय राज्य सरकार ने कतिपय शर्तें, जैसे संयुक्त उद्यम कंपनी की साम्या पूंजी में 20% की राज्य सरकार की भागीदारी, राज्य में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना, राज्य में से ही, विशेष रूप से बस्तर जिले से श्रमिकों की नियुक्ति, संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा उस क्षेत्र में स्कूलों/औषधालयों की स्थापना इत्यादि, शामिल करने का प्रस्ताव किया था। खान मंत्रालय ने 21 मार्च, 1996 को, एम०एम०आर०डी० अधिनियम, 1957 और खनिज राहत नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर और इस शर्त पर कि इस हस्तान्तरण हेतु राज्य सरकार, प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० और एन०एम०डी०सी० इन शर्तों पर एकमत हों और एक अनुबन्ध करें या अन्य कोई उचित वैधानिक कार्रवाई के जरिए एक हों, उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

खान मंत्रालय ने अपने दिनांक 13.6.96 के पत्र द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को यह सूचित करने का अनुरोध किया था कि क्या एन०एम०डी०सी० ने खनिज राहत नियम, 1960 के नियम 27(3) के तहत् राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों को शामिल करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 19.6.96 और 3.8.96 के पत्रों के माध्यम से इस्पात मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह एन०एम०डी०सी० को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर अपनी स्वीकृति भेजने का निदेश दे।

संसद सदस्य श्री गुरूदास दासगुप्त एवं श्री जीवन राय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने 16.4.96 को II-बी के खनन पट्टे के हस्तान्तरण के निर्णय के संबंध में स्थगन आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने 10.5.96 को अधिकारिता के आधार पर रिट याचिका खारिज कर दी थी। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा आदेश का प्रवर्तन 3 सप्ताह की अवधि के लिए 31.5.96 तक, स्थगित कर दिया गया था। इस आदेश के विरुद्ध संयुक्त उद्यम कंपनी की